

कार्यालय कलेक्टर, जिला उज्जैन (म.प्र.)

दूरभाष क्र.0734-2513100, फेक्स 0734-2510278, ई-मेल dmujain@nic.in

क्रमांक/स्थापना/2018/2908

उज्जैन दिनांक 12-4-2018

-आदेश-

म0 प्र0 शासन, राजस्व, विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-2-10/2012/सात/4-ए दिनांक 04 मार्च 2014 अनुसार कलेक्टर कार्यालय एवं अधिनस्थ अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार कार्यालय हेतु कार्यालय सहायक सह डाटा एन्ट्री आपरेटर (संविदा) के पद रूपये 10,000/- प्रतिमाह मानदेय के आधार पर स्वीकृत किये गये है। इन पदों की पूर्ति हेतु राजस्व विभाग के समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 09 अगस्त 2017 अनुसार दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुवे एवं कार्यालयीन आदेश क्रमांक 974 दिनांक 30.01.2018 में आंशिक संशोधन करते हुवे प्रतीक्षा सूची में चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में कार्यालय सहायक सह डाटा एन्ट्री आपरेटर (संविदा) के पद पर रूपये 10,000/- प्रतिमाह मानदेय पर परिशिष्ट-4 में अनुबंध पत्र संपादित करने के पश्चात कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अनुबंध पत्र के अध्यक्षीन रहते हुवे निम्न शर्तों पर संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्र	नाम-पिता का नाम एवं पता	वर्ग	कार्यालय का नाम
01	श्री सौरभ सक्सेना पिता श्री मनोहर प्रसाद सक्सेना 182, श्रीनगर कॉलोनी, वार्ड क्र:-17 उत्तम भोग के पीछे, शुजालपुर मण्डी, जिला शाजापुर	अनारक्षित /ओपन	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तराना
02	जयेश पाण्डेय पिता श्री बद्रीलाल पाण्डेय निवासी 84/1/1 विष्णुपुरा फीग्रंज उज्जैन	अनारक्षित /ओपन	अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) नागदा

संविदा नियुक्ति की सामान्य शर्तें

- 01 संपादित अनुबंधपत्र की छायाप्रति सहित संबंधित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उपस्थिति मान्य की जाएगी।
- 02 उपस्थिति प्रतिवेदन 02 प्रति में स्वयं का पासपोर्ट फोटो चस्पा कर प्रस्तुत करेंगे।
- 03 संविदा नियुक्ति आदेश जारी करने की दिनांक से 15 दिन की अवधि में अनुबंधपत्र का संपादन/कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो संविदा नियुक्ति का आदेश स्वतः प्रभावशून्य है जायेगा।
- 04 संविदा सेवा में प्रतिमाह एकजाई रूपये 10,000/-मानदेय देय होगा।
- 05 संविदा नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से 01 वर्ष के लिये वैध होगी।

निरन्तर...

ds

- 06 संविदा नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा 01 माह का नोटिस या वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी ।
- 07 अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं करने अथवा शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर नियुक्ति आदेश निरस्त किया जा सकेगा ।
- 08 संविदा नियुक्ति के दौरान शासकीय आवास गृह की पात्रता नहीं होगी ।
- 09 यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी जैसे किसी तृतीय श्रेणी के कर्मचारी को होती है ।
- 10 संविदा नियुक्ति के आधार पर नियमतीकरण संबंधी कोई मांग या दावा नहीं किया जावेगा ।
- 11 किसी भी विवाद की स्थिति में कार्यालय प्रमुख का निर्णय बंधनकारी होगा ।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित/आदेशित)

sd
अपर कलेक्टर,
जिला उज्जैन

पृष्ठांकन क्रमांक/स्थापना/2018/ 2908

उज्जैन दिनांक 12-4-2018

प्रतिलिपी-

- 01 सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल
- 02 सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल
- 03 प्रमुख राजस्व आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल
- 04 आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन
- 05 जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (एनआईसी) की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु ।
- 06 प्रभारी अधिकारी, वित्त-3/नाजिर शाखा कलेक्टोरेट उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 07 अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार,
नागदा, तराना जिला उज्जैन की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित अभ्यर्थी के पद पर उपस्थित होने की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भेजे एवं अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन/अपालन की दशा में तत्काल जिला कार्यालय को सूचित करे तथा उपस्थित अभ्यर्थी का मूल उपस्थिति प्रतिवेदन, संपादित अनुबंधपत्र एवं अन्य दस्तावेज तत्काल इस कार्यालय को भेजे ।
- 08 जिला कोषालय अधिकारी, जिला उज्जैन
- 09 संबंधित श्री सौरभ सक्सेना पिता श्री मनोहर प्रसाद सक्सेना 182, श्रीनगर कॉलोनी, वार्ड क्र.-17 उत्तम भोग के पीछे, शुजालपुर मण्डी, जिला शाजापुर
- 10 श्री जयेश पाण्डेय पिता श्री बद्रीलाल पाण्डेय, निवासी 84/1/1 विष्णुपुरा फीग्रंज उज्जैन की ओर पालनार्थ ।
- 11 व्यक्तिगत नस्ती हेतु ।

L
अपर कलेक्टर,
जिला उज्जैन